संख्याः 1332/9–आ–4–97–259एन/97

प्रेषक,

श्री अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्लायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
3. उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण,
लखनऊ/देहरादून/वाराणसी/गोरखपुर/मुरादाबाद/इलाहाबाद/कानपुर/आगरा/बरेली व मेरठ।

आवास अनुभाग–4 लखनऊः दिनांक 29 जुलाई,1997

विषयः नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण के सम्बन्ध में जारी शासनादेशों में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 82/9–आ–4–96–629एन/95, दिनांक 17.02.1996 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त शासनादेश में विभिन्न भू–उपयोग यथा एकल निवासी भवन, औद्योगिक, राजकीय कार्यालय/कार्यालय, ग्रुप हाउसिंग, यातायात एवं व्यवसायिक प्रयोजन हेतु फ्री–होल्ड की दरें निर्धारित करते हुए एकमुश्त धनराशि जमा करने के अतिरिक्त पट्टाधारक को किश्तों में धनराशि जमा करने की सुविधा अनुमन्य की गयी है। शासन के संज्ञान में यह बात लायी गयी है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर–1 में अनुमन्य किश्तों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए आवासीय, औद्योगिक, राजकीय कार्यालय में 5 लाख सामूहिक आवाससीय में 25 लाख एवं व्यवसायिक मामलों में 50 लाख से कम आंकलित मूल्य पर शासनादेश संख्या 2093/9–आ–4–94–293 एन/90ण् दिनांक 03.10.1994 के प्रस्तर–1 (ख) के प्राविधान के अनुसार छः छमाही किश्तों की सुविधा अनुमन्य नहीं की जा रही है।

2. उपरोक्त सम्बन्ध में यह स्पष्ट किये जाने के निदेश हुए हैं कि उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 17.12.1996 में पट्टागत भूमि के फ्री–होल्ड के मामले में किश्तों में भुगतान की अनुमन्य करायी गयी सुविधा शासनादेश संख्याः 2093/9–आ–4–94–293 एन/90, दिनांक 03.10.1994 के अतिरिक्त हैं। अतः व्यवस्थानुसार नजूल भूमि के फ्री–होल्ड के मामले में आवेदक द्वारा किश्तों में भुगतान का विकल्प देने पर 25% धनराशि प्रारम्भ में जमा कराकर न्यूनतम छः छमाही किश्तों में 15% साधारण ब्याज सहित फ्री–होल्ड की धनराशि के भुगतान की अनुमति दी जायेगी।

अतः कृपया उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार फ्री–होल्ड की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

पृष्ठ संख्याः 1332(1)/9–आ–4–97, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त स्थानीय, निकाय, उत्तर प्रदेश।
3. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–6

आज्ञा से

राजकुमार सिंह
अनु सचिव